Available at: *https://anubooks.com/journal-volume/shodhmanthan-vol-xvii-june-2026-no2*

शैक्षणिक सामाजिक समानता स्थापना हेतु समावेशी शिक्षा

प्राप्तिः 02.05.2026
स्वीकृतः 05.06.2026

28

डॉ (श्रीमती) अखिलेश
असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)
जी0एस0एच0, पी.जी कॉलेज,
चान्दपुर जनपद बिजनौर
ईमेलः *akhileshchauhan6699@gmail.com*

सारांश

भारतीय समाज में अन्य असमानताओं की तरह शैक्षणिक असमानता भी मिलती है। शिक्षा के आधार पर समाज शिक्षित–अशिक्षित वर्ग के साथ–साथ अन्य उपवर्गों में विभाजित है। समाज में समानता स्थापन हेतु सरकारों द्वारा अनेक भगीरथी प्रयास किये जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समानता स्थापन में 'समावेशी शिक्षा व्यवस्था रूपी प्रयास उनमें से एक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986, विश्व घोषणा–पत्र 1990, भारतीय पुनर्वास अधिनियम–1992, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2006 अनिवार्य शिक्षा अभियान–2009 नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 सभी को शिक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण अधिनियम माने जाते हैं इनसे शैक्षणिक सामाजिक समानता स्थापन की दिशा मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार भी नित नये अभियान चलाकर समावेशी शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के ठोस कदम उठा रही है।

लेखिका स्थानीय उच्च शिक्षा संस्थान में असि0 प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। 'केरियर एडवांस स्कीम' के अन्तर्गत रिफ्रेशर कोर्स करते समय अध्ययन का मुख्य विषय ''इन्क्लूसिव हायर एजूकेशन'' था। कोर्स सहभागिता के समय मन में विचार आया कि जो कोर्स के दौरान सीखा है उसे समाज हित में वैचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाय। यह लेख इसी दिशा में एक प्रयास है। जहाँ निष्कर्ष रूप में यह तथ्य प्रमाणित होता नजर आता है कि समाज में शैक्षणिक समानता स्थापन हेतु समावेशी शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य एवं अपरिहार्य है।

मुख्य शब्द

'समावेशी' (Inclusive), संवेगात्मक (Emotional), भेदभाव (Discrimination), अवसर (Opportunity), अनेकता में एकता (Unity in Diversity), नयी शिक्षा नीति (NEP), सार्वभौमिक (Universal), बुनियादी–ढांचा (Infra-Structure), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Qualitative Education), अक्षम (Disable), जागरूकता (Awareness), पोस्टर सैट्स (Poster Sets), सामाजिक समानता (Social Equality), अन्तः विषयक (Interdisciplinary)

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.028

प्रस्तावाना

सामाजिक विविधता, समस्त देशों की एक सामाजिक विशेषता है जहाँ किसी देश की सामाजिक विविधता उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रगति, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक सम्बन्धों के स्थापन में एक सकारात्मक भूमिका निभाती है। वहीं दूसरी ओर यह समाज में मौजूद सामाजिक असमानता, आपसी सामाजिक संघर्ष, सामाजिक चुनौतियों, सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देती हैं। ये स्थितियां अपने निदान के लिए आवश्यक वैचारिकी पर बल भी देती हैं।

सामाजिक प्रगति, उन्नति, विकास, सामाजिक परिवर्तन तथा समाज के सभी क्षेत्रों में समानता स्थापन के लिए संवैधानिक कार्यकारी प्रयास करना आवश्यक है इसलिए सरकारों द्वारा एवं समाज सुधारकों द्वारा सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, लैंगिक समानता लाने के निरन्तर प्रयास होते रहे हैं, जिसमें बड़े स्तर पर सफलता भी मिली है।

समावेशी शिक्षा व्यवस्था समाज में विभिन्न प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त बच्चों को शैक्षणिक रूप से सामाजिक समानता प्रदान करने की एक व्यवस्था है। **ईटार्ड** (Itard) को समावेशी शिक्षा का प्रमुख अग्रदूत माना जाता है। इनके अलावा 'मारिया मोंटेसरी' (Maria Montessori) को भी इस प्रकार की शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। 1994 में सालामांका (Salamanca) ने समावेशी शिक्षा को सरकारों द्वारा अपनाने के लिए अभिप्रेरित किया।

प्रस्तुत लेख समावेशी शिक्षा किस प्रकार से समाज में शैक्षणिक समानता (Educational Equality) ला सकती है? का एक वैचारिक स्वरूप है। उ0प्र0 सरकार इस दिशा में कौन–कौन से प्रयास कर रही है, को भी स्पष्ट करेगा।

सामाजिक समानता और शिक्षा में अन्तःविषयक सम्बन्ध

भारत विविधताओं का देश कहा जाता है 'अनेकता में एकता' (University in Diversity) यहाँ का विशिष्ट विलक्षण है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रथा एवं रीति रिवाजों सामाजिक मूल्य आदि में असमानता भरी हुई है। लेकिन जब देश के विकास की बात कही जाती है तो यह आवश्यक है कि यहाँ रहने वाले सभी वर्गों, धर्मों एवं समुदायों के व्यक्तियों को विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित कर सामाजिक समानता के स्तर पर प्रति–स्थापित किया जाय। सामाजिक समानता क्या है? यह जानना बहुत जरूरी है।

सामाजिक समानता एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और समान सामाजिक दर्जा प्राप्त होता है जिसमें नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, सार्वजनिक वस्तुओं एवं सामाजिक सेवाओं तक समान पहुंच प्राप्त हो। संविधान में भी 'समानता' को एक मूल्य (Value) के रूप में मान्यता दी है। सामाजिक समानता का तात्पर्य सामाजिक नीति में निष्पक्षता, न्याय और तटस्थता से भी हैं जिसमें व्यवस्थागत असमानताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले जिससे समाज में मौजूद असमानता को समाज से दूर (बाहर) किया जा सके।

समानता की अवधारणा में यह तथ्य निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अवसरों और अधिकारों का

हकदार है। शिक्षा भी इन्हीं में से एक है जिसके माध्यम से हम सामाजिक समानता को प्राप्त करने का एक आधार तैयार कर सकते हैं। इसप्रकार शिक्षा और सामाजिक समानता एक अन्तःविषयक (Interdisciplinary) विषय है। यहाँ शैक्षणिक सामाजिक समानता को भी जानना जरूरी है।

शैक्षणिक सामाजिक समानता से अभिप्राय यही है कि समाज में बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षित कर समान शैक्षिक स्तर पर स्थापित करने का प्रयास हो जिससे सभी के समक्ष आत्मनिर्भरता के साथ स्वविकास हेतु समान अवसर प्राप्ति हों तथा राष्ट्रीय विकास में उनका योगदान प्राप्त हो। इसलिए सामाजिक समानता स्थापन के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य माना गया है। यदि प्राथमिक स्तर पर व्यक्ति को उसकी विलक्षणता के आधार पर शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर दिया जाय तो उसके विकास का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21–A सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षित करने का सरकारों के दायित्व को स्पष्ट करता है। इसी दायित्व के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लैंगिक समानता स्थापित करने हेतु प्रयास भी किये जा रहे हैं। **'समावेशी शिक्षा'** का उपक्रम भी इनमें से एक है इसके अन्तर्गत जाति, लिंग, वर्ग, धर्म एवं समुदाय के भेदभाव के बिना सभी को समान शिक्षा के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। यह सामाजिक न्याय का एक वास्तविक आधार भी है।

नयी शिक्षा नीति कार्यक्रम (NEP)–2020 शैक्षणिक सामाजिक समानता स्थापन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान–2018, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), सर्वशिक्षा अभियान (SSA) एवं शिक्षक शिक्षा (TE) का एकीकृत स्वरूप हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक समानता एवं समावेशन सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रधानाचार्यो को प्रशिक्षित करने के सम्बन्धित **निष्ठा योजना–2019** बच्चों का पोषण सुधारने हेतु **पोषण शक्ति योजना–2021** कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु **पी.एम. दक्ष योजना–2021** आदि को लागू किया गया है।

समावेशी शिक्षा का अर्थ

सन् 1970–80 के दशक में 'स्पैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ नॉदर्न इण्डिया, (SSNI) की भूमिका महत्वपूर्ण कही जा सकती है। यह सोसाइटी विभिन्न प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के विकास के लिए कार्य करती है। समावेशी शिक्षा इसी प्रकार के प्रयासों का एक रूप है। समावेशी शिक्षा, शिक्षा प्रदान करने वाली वह प्रणाली है जो सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक विभिन्नताओं वाले छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती हैं जिससे समाज के सभी वर्ग एवं समुदायों के बच्चों को समान सामाजिक अवसर प्राप्त हो सकें।

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट क्षमता रखने वाले बच्चे जैसे– शारीरिक रूप से विकलांग, मन्दबुद्धि, बहरापन, आँखों से नं देख पाने वाले बच्चे जो कुछ सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तथा वे बच्चे जो अभिभावक, शिक्षक तथा समाज द्वारा उपेक्षित कर दिये जाते हैं, को शिक्षा प्राप्ति की मुख्य धारा से जोड़कर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। 'समावेशी शिक्षा' बिना भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ समानरूप से आवश्यक तकनीकी एवं प्रशिक्षण रूपी शिक्षा प्रदान करती है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.028

स्टीफन तथा **ब्लैक हर्ट** के अनुसार– समावेशी शिक्षा, बाधायुक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने की एक व्यवस्था है। ऐसी शिक्षा बच्चों को मानसिक रूप से समानता के स्तर पर लाकर उपयुक्त सामाजिक समानता एवं अधिगम को बढ़ावा देती है।

थरशेल के अनुसार– समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव और अन्तर के समाज के प्रत्येक वर्ग एवं समुदाय को शिक्षा प्राप्ति हेतु समान स्तर प्रदान करती है।

स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा समाज के सभी वर्ग एवं समुदाय के बच्चों को विभिन्न प्रकार से शिक्षित कर उनको सामाजिक शैक्षणिक समानता प्रदान करने का कार्य करती है। यदि हम विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो प्राथमिकताओं के आधार पर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम ऐसे पाठ्यक्रम बनाने की दिशा में कदम बढ़ायें जो इस प्रकार की शिक्षा को धरातल पर उतार के साथ–साथ मजबूती प्रदान करे। इस दिशा में ऐसे पाठ्यक्रम बनाये जा भी चुके हैं जो सभी विषयों को अपने में समाविष्ठ कर रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में लिंगीय, भाषायी, जातीय एवं शारीरिक अक्षमताओं जैसे भेदों की उपेक्षा की जाती है। फिर भी वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए ऐसे विशिष्ट समावेशी शैक्षिक पाठ्यक्रमों की विशेष आवश्यकता है जो सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में मार्गदर्शक सिद्ध हो सके।

सामान्यतः समावेशी शिक्षा को एक नवीन दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। इसके विकास के लिए आवश्यक अन्तःसंरचना को व्यवहारिक बनाया जा रहा है। यदि इसके प्रभाव से अन्तर्जातीय सम्बन्धों एवं अन्तर्जातीय संगठन को मजबूती मिलती है, जिसकी सम्भावना है, तो इसे प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रकार के संस्थानों में लागू किया जाना भारतीय समाज के लिए अनिवार्य होगा। इससे नवीन प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को एक गति मिल सकती है।

समावेशी शिक्षा के प्रदान करने के पीछे सैद्धांतिक विचार यह है कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से सभी प्रकार के छात्रों को 'शिक्षा के अधिकार' की पूर्ति होती है। विभिन्न पृष्ठभूमियों और क्षमताओं वाले बच्चों को आपसी विविधता का सम्मान करने सम्बन्धी समायोजनकारी सोच विकसित होती है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम होते हुए भी वे शिक्षा से वंचित नहीं रह पाते। साथ ही आपसी स्नेह, मित्रता, परस्पर सहयोग की भावना शैक्षिक कार्यों में एक–दूसरे की मदद करने सम्बन्धी सोच को मजबूती मिलती है।

जैसा कि उक्त विवरण से स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा समाज के विविध प्रकृति के बच्चों को शिक्षा की उपलब्धता एवं अवसरों में समानता की वकालत करती है। इसका क्षेत्र बहुत वृहद है। ऐसे शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग आदिवासी, निर्धन, पिछड़ा वर्ग के बच्चे, घुमन्तु श्रमिकों के बच्चे, गम्भीर बीमारी के चलते (कैंसर आदि) शिक्षा से वंचित बच्चे निःशक्त बच्चे, कामकाजी बच्चों को सहज तरीके से अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो जाती है।

समावेशी शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रयास

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 29 में किसी भी वर्ग को अपनी भाशा, लिपि और संस्कृति को

संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार दिया गया है।

अनुच्छेद 45, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से सम्बन्धित है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 10 वर्षों के भीतर सभी प्रकार के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यद्यपि 86वां संविधान संशोधन (2002) द्वारा अनुच्छेद 45 को संशोधित कर दिया गया। वर्तमान में इसमें प्रावधान यह है कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को बचपन की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 21–A निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत जोड़ा गया। इसके अन्तर्गत 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद–46 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति की व्यवस्था की गयी है। दिव्यांग बच्चों के विशेष शिक्षा प्रदान करने हेतु दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 बनाया गया है। 2020 में नयी शिक्षा नीति बनायी गयी है।

उ0प्र0 राज्य में समावेशी व्यवस्था की स्थिति

उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2020–2021 में कुल स्कूलों की संख्या का 54.1 प्रतिशत सरकारी स्कूल एवं 3.2 प्रतिशत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं जो 2015–16 की 63.5 प्रतिशत की तुलना में कम है। इसीप्रकार शिक्षकों की कुल संख्या का 42.2% सरकारी एवं 5.81% सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत हैं जो 2015–16 के 49.2% से कम है। वहीं दूसरी ओर 2021–2022 में प्राइवेट सेक्टर में स्कूल की संख्या 37.9% है तथा कार्यरत शिक्षकों का प्रतिशत–46.7 है जो 2015–16 के 31.5% से अधिक है। इन स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों का 40.4% सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में तथा निजी स्कूलों में 44.7% है। अर्थात् निजी संस्थानों में अधिक बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। 2021–2022 के आंकड़ों के अनुसार इन सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक 87.59% ही है जो राष्ट्रीय सूचकांक 90.52% से कम है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात 18/100 की तुलना में उत्तर–प्रदेश में यह 27/100 है जो राष्ट्रीय स्तर सूचकांक से अधिक है। 2030 तक इसे 30/100 करने का लक्ष्य है।

राज्य में समावेशी शिक्षा को व्यवस्था को व्यवहार में लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन् 2020 में '**समेकित शिक्षा अभियान**' की शुरूआत की गई जिसमें कई प्रकार से अक्षम बच्चों को प्रमुखता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा, समाज में शैक्षणिक समानता लाने की दिशा में एक प्रयास है। सरकार द्वारा सामुदायिक सहभागिता को भी महत्व दिया जा रहा है '**स्कूल चलो अभियान**' भी इस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने से सम्बन्धित है। प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु 2029 तक 50% से अधिक स्कूलों को '**आदर्श विद्यालय**' के रूप में विकसित करने की सरकारी योजना है। इन स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं, स्मार्ट कक्षाओं तथा बेहतर बुनियादी

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.028

ढांचे (शौचालय, पेयजल, साफ–सफाई) पर जोर दिया जा रहा है साथ ही कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को **'एकीकृत केंपस'** के रूप में जोड़ा जा रहा है। वर्तमान समय में उ0प्र0 के प्रयागराज, कन्नौज, औरेया, आजमगढ़, बलिया, महाराजगंज और लखनऊ में समावेशी / समेकित स्कूल संचालित हैं जिनमें 400 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं गाजियाबाद और प्रतापगढ़ में ऐसे स्कूल संचालित करने की योजना है। इनमें कक्षा–6 से 12वीं तक के बच्चे अध्ययन करते है। प्रदेश के लगभग 1.32 लाख से अधिक विद्यालयों में 2.65 लाख **'पोस्टर सेट्स'** (Poster Sets) के माध्यम से समेकित शिक्षा का संदेश फैलाया जा रहा है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि शैक्षणिक सामाजिक समानता हेतु राज्य सरकार **'सर्वशिक्षा अभियान'** एवं समावेशी शिक्षा व्यवस्था को उच्चस्तरीय बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और समावेशी शिक्षा

राष्ट्रीय नयी शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव करने के प्रयास किये हैं:

1. शिक्षा का स्वरूप सार्वभौमिक हो जिससे 2030 तक प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक के बच्चों का 100 प्रतिशत नामांकन संभव हो सके।
2. शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए।
3. सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित समूह (SC, ST, OBC) अल्पसंख्यक समूह के बच्चों विशेष तौर से बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
4. दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी मंच के अन्तर्गत की जाय।
5. जेंडर इंक्लूजन फंड की व्यवस्था के अन्तर्गत बालिकाओं व ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया जाय।
6. शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाय।
7. शैक्षिक सामग्री व पाठ्यक्रम को समावेशी बनाया जाय।
8. भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देकर सुनने व बोलने में अक्षम बच्चों के लिए सुलभ बनाया जाय।
9. दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत 'ऑन लाइन शिक्षा प्रणाली कार्यक्रम' शुरू किये जायें।
10. भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया है जिसमें ई लर्निंग प्लेट फार्म के अन्तर्गत भारत सरकार ने 'Diksha Swayam' और 'e Pathshala' जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स को विकसित किया गया है।
11. ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टेबलेट व स्मार्टफोन को विद्यार्थियों में बंटवाने का कार्य राज्य सरकारों की ओर से किया जाये।
12. आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाय।

समावेशी शिक्षा हेतु सरकारी एवं नागरिक दायित्व

1. सरकारों को ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए जो सामाजिक समानता और समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकें।

2. सरकार को समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों में प्राथमिकता के आधार पर निवेश करना चाहिए।
3. समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
4. शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित कार्यक्रम चलाने चाहिए।
5. नागरिकों को भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
6. नागरिकों को भी चाहिए कि वे अपने समुदायों में समावेशी शिक्षा के लाभों के बारे में बतायें तथा जागरूकता बढ़ायें।

समावेशी शिक्षा और सामाजिक समानता के समक्ष चुनौतियाँ

1. भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आज भी बड़े स्तर पर अभाव है।
2. समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक प्रशिक्षित अध्यापकों का विद्यालयों में कमी है।
3. आवश्यक तकनीकी उपकरण व अन्य संसाधनों की पूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है।
4. बुनियादी ढांचे की बड़े स्तर पर आवश्यकता है।
5. अभिभावक एवं समाज में समावेशी शिक्षा के प्रति कम जागरूकता।
6. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज की सकारात्मक मनोवृत्ति की कमी।
7. दिव्यांगों को उनके विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं की कमी।
8. केन्द्र व राज्य की अनेकों योजनाएं व नियमों का क्रियान्वयन ठीक से लागू न होना।
9. केन्द्र व राज्य की विभिन्न योजनाओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन न होना।
10. समावेशी शिक्षा हेतु आवष्यक मानकों का निर्धारण न होना।

निष्कर्ष

विकसित भारत की परिकल्पना तब तक पूरी नहीं हो सकती है, जब तक समाज में शैक्षणिक समानता स्थापित नहीं प्राप्त हो पाती। हम सभी को मिलकर समावेशी शिक्षा की ओर ठोस कदम उठाने होंगे। जब प्रत्येक बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा, तभी वह आत्मनिर्भर बन पायेगा और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा पायेगा। इससे समाज में शैक्षणिक सामाजिक समानता स्थापित करने का मार्ग और भी प्रशस्त होगा। मुझे आशा है कि शिक्षा और सामाजिक समानता के पैरोकार, नियंता एवं योजनाकार इस अध्ययन से लाभान्वित होंगे।

समावेशी शिक्षा हेतु सुझाव

समावेशी शिक्षा और सामाजिक समानता न केवल समाज में समानता लाती है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है। एक शिक्षित और समान अवसरों वाला समाज ही अधिक उत्पादक और सशक्त होता पाना है। भारत में समावेशी शिक्षा और सामाजिक समानता हेतु सुझाव इस प्रकार हैः

1. पारिवारिक जागरूकता हेतु अध्यापकों द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर परामश कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.028

2. योग्य शिक्षकों का चयन किया जाय जो उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग कर सकें तथा समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करें।
3. शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए सम्प्रेषण में सहायक उपकरण, सर्जिकल जूतें आदि की व्यवस्था की जाए।
4. मूकबधिर बालकों के लिए भाषाओं का प्रषिक्षण, विभिन्न प्रतीक चिन्ह, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण सामग्री का प्रयोग किया जाये।
5. दृष्टिबाधित बालकों के लिए बेललिपि, कम्प्यूटर ब्रेल प्रणाली, बोलते हुए कम्प्यूटर, व्हील चेयर, एडवान्स व्हील चेयर आदि की व्यवस्था की जाय।
6. शिक्षा नीति में नीतिगत सुधार करके ही समावेशी शिक्षा को सुधारा जा सकता है।
7. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देकर दूरस्थ व वंचित क्षेत्रों तक शिक्षा पहुँचाई जा सकती है।

संदर्भ

1. बंसल सोनम (2020), ''समावेशी शिक्षा के प्रति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के दृष्टिकोण का एक अध्ययन'', शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय जनरल, खण्ड–1, पृ0सं0–**55–63**।
2. बेस्ट, डब्ल्यू जॉन एण्ड खान बी0 जेम्स (2020), ''रिसर्च इन एजूकेशन'', प्रेंटिस–हॉल ऑफ इण्डिया प्राइ0 लिमि0, नई दिल्ली, छठा संस्करण, पृ0सं0–**38**।
3. मिश्र, विजय लक्ष्मी (2018), ''समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं चुनौतियाँ'', भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, लखनऊ, वर्ष 37, अंक–1, पृ0सं0–**36–39**।
4. मिश्रा, निरंजना व अवस्थी अरूणेश एवं तिवारी गीजेन्द्र (2016–2017), ''शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य'', ठाकुर प्रकाशन, लखनऊ, पृ0सं0–**61–196**।
5. शर्मा, अनिल कुमार व श्रीकान्त (2019) ''समावेशी शिक्षा के प्रति उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान व कला संकाय के अध्ययन'', भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका लखनऊ, वर्ष 38, अंक 2, पृ0सं0–**47–54**।
6. सिद्दीकी, आफताब जाकरा (2015), ''बाल श्रमिकों की शैक्षिक, पारिवारिक व आर्थिक, समस्याएं – एक अध्ययन'', वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, पृ0सं0–**1–40**।
7. सिद्धिकी, ए0जे0 (2025), ''विकसित भारत : समावेशी शिक्षा और समानता'', ए हेण्डबुक ऑफ सोशिया, इकनोमिक एण्ड कल्चुरल इश्यूज।

1. https://www.scribd.com
2. https://sieallahabad.org
3. https://uou.ac.in
4. https://scert.cg.gov.in